

प्रेषक,

आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उ0प्र0 शासन।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक: 05 अगस्त, 2018

विषय:- कम्प्यूटर के एप्लीकेशन साफ्टवेयर क्रय/विक्रय का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1710/78-2-2016-135आई0टी0/2016, दिनांक 17 नवम्बर, 2016 कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके बिन्दु-4 में संशोधन करते हुए "विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य सम्पादन/संचालन हेतु उपयुक्त जनशक्ति उपलब्ध कराया जाना" के स्थान पर "विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप कम्प्यूटर के कार्यों के सम्पादन/संचालन हेतु उपयुक्त जनशक्ति उपलब्ध कराया जाना" पढ़ा जाये से सम्बन्धित संशोधित शासनादेश संख्या-1703/78-2-2017-135आई0टी0/2016, दिनांक 01 अगस्त, 2017 निर्गत किया गया था।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-1703/78-2-2017-135आई0टी0/2016, दिनांक 01 अगस्त, 2017 को निरस्त करते हुए तथा शासनादेश दिनांक 17-11-2016 को संशोधित करते हुए निम्नवत व्यवस्था की जाती है:-

- (1) शासनादेश संख्या-85/78-2-2011-11आईटी/2001, दिनांक 18-01-2011, जिसके माध्यम से पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों का उल्लेख करते हुए निहित प्राविधानों के अनुसार कम्प्यूटर के एप्लीकेशन साफ्टवेयर क्रय/ विक्रय प्रक्रिया का निर्धारण से संबंधित निर्देश किये गये हैं, के क्रम में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि समस्त प्रकार के कम्प्यूटर के साफ्टवेयर क्रय/ विकास के अतिरिक्त निम्न कार्य भी आच्छादित हैं:-
- (2) डक्यूमेंट, आडियो, वीडियो, माईक्रोसाफ्ट फिल्म इत्यादि डिजिटाइजेशन (स्कैनिंग) इण्डेक्सिंग एवं इससे सम्बन्धित समस्त कार्य।
- (3) डाटा अपलोडिंग/ डाउनलोडिंग एवं इससे सम्बन्धित समस्त कार्य।
- (4) कालि सेंटर की स्थापना, संचालन एवं इससे सम्बन्धित समस्त कार्य।
- (5) विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य सम्पादन/संचालन हेतु उपयुक्त जनशक्ति उपलब्ध कराया जाना। जनशक्ति के चयन में सम्बन्धित विभाग की भागीदारी होगी तथा Eligibility की शर्तें भी उनसे विचार-विमर्श कर निर्धारित की जायेगी।
- (6) उपरोक्त समस्त कार्य विभाग के अन्तर्गत कार्यरत संस्थाओं यथा- यूपीडेस्को, यूपीएलसी, श्रीट्रान इंडिया लि0 तथा अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0 के माध्यम से कराया जा सकता है।

3- उक्त शासनादेश संख्या-1710/78-2-2016-135आई0टी0/2016, दिनांक 17 नवम्बर, 2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

Alanka
(आलोक सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।


2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(1)
संख्या ८४५/७८-२-२०१८ तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल।
- 2- प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा सचिवालय, उ०प्र०।
- 3- प्रमुख सचिव/सचिव, विधान परिषद सचिवालय, उ०प्र०।
- 4- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 5- महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 8- एस०आई०ओ० एनआईसी, लखनऊ।
- 9- प्रबंध निदेशक, यूपीएलसी/यूपीडेस्क/श्रीद्वान इंडिया लि०/अपट्रान पावरट्रानिक्स लि०
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(हरी राम)
उप सचिव

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।